

# राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

(G-1, किसान भवन, लाल कोठी, जयपुर)

क्रमांक - पैरामेडि.कौ/एफ-85/2015/5851

दिनांक : 27/11/15

**NIMS COLLEGE OF PARA MEDICAL TECHNOLOGY,**  
Nims University, Shobha Nagar,  
Jaipur-Delhi Highway-303121

विषय:- पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने की मान्यता बाबत।

विषयान्तर्गत आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार विमर्श कर श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) द्वारा गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा आपको निम्न पाठ्यक्रम संचालित करने की अस्थाई मान्यता प्रदान करने का निर्णय किया गया है -

S. N.	Course Name
1.	Diploma in Medical Laboratory Technology
2.	Diploma in Radiation Technology
3.	Diploma in Cath Lab Technology
4.	Diploma in Operation Theater Technology
5.	Diploma in Dialysis Technology
6.	Diploma in ECG Technology
7.	Diploma in Blood Bank Technology
8.	Diploma in Ophthalmic Technology

यह पूर्णतः अस्थाई मान्यता राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल एक्ट 2008 की धारा 13 एवं 28 के तहत निम्न शर्तों के अध्वधीन दी गई है -

1. पाठ्यक्रमों एवं अन्य क्रियाकलापों का संचालन राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
2. राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा संस्था का निरीक्षण किसी भी समय पर करवाया जा सकता है और संस्था द्वारा नियमों/विनियमों/निर्देशों का उल्लंघन पाया गया तो संस्था की मान्यता तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जा सकती है।
3. मान्यता प्राप्त संस्था को प्रति डिप्लोमा कोर्स के लिए राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल और संस्था के संयुक्त नाम की 75000 रुपये की स्थाई बैंक जमा रसीद (FD) राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल में दिनांक 7-12-2015 तक जमा करानी होगी।
4. राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा मांगी गई सूचनाएं संस्था द्वारा समय पर उपलब्ध कराई जाएगी।
5. राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
6. प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 25 सीटें आवंटित की गई हैं।

*anj*  
27.11.2015  
रजिस्ट्रार